रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

35] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27, 1973/माघ 7, 1894

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27, 1973/MAGHA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January 1973

S.O. 43(E).—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 2nd February, 1973 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in PAPHAMAU Telephone Exchange, connected with Allahabad telephone system, U.P. Circle.

[No. 5-2/73-PHB(8).]

B. S. RAU,
Senior Member (Telecom. Operations) and
Ex-officio Addl. Secy. (Communications).

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1973

एस० ओ० 43 (अ).—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने इलाहाबाद टेलीफोन प्रणाली उत्तर प्रदेश सर्कल से जुड़े हुए फाफामऊ टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 2-2-1973 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-2/73-पी एच बी(8)]

बी० एस० राव,

वरिष्ठ सदस्य (दूर संचार प्रचालन)
तथा पदेन अतिरिक्त सचिव (संचार)।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973